

# सामूहिक बीमा योजना

## 1. प्रस्तावना :-

सामूहिक बीमा योजना (Group Insurance Scheme- GIS) का पूरा नाम "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संचालित एक कल्याणकारी योजना है। यह मूलतः एक रिस्क कवरेज स्कीम है जिसका मूल उद्देश्य सेवारत मृत सरकारी सेवक के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम दिनांक 01 मार्च, 1974 से पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों पर लागू की गयी। दिनांक 01 मार्च, 1976 से यह योजना राज्य के समस्त सरकारी सेवकों पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एल०आई०सी०) के माध्यम से लागू की गई। 01 मार्च, 1980 से इस योजना का संचालन उ०प्र० सरकार के वित्त विभाग के राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकासदीप भवन, लखनऊ द्वारा किया जाने लगा। सामूहिक बीमा निधि की स्थापना लोक लेखे के अंतर्गत की गयी है जिसका संबद्ध मुख्य लेखाशीर्षक 8011-बीमा तथा पेंशन निधियाँ 107- राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना है। सामूहिक बीमा निधि दो भागों- बचत निधि व बीमा निधि (रिस्क कवरेज) में विभक्त है। बचत निधि पर त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज देय है। सेवारत मृत्यु की दशा में परिवार/आश्रितों को बीमा आच्छादन की निर्धारित राशि एवं बचत निधि का ब्याज सहित भुगतान तथा सेवानिवृत्ति/सेवा से अन्यथा पृथक होने पर केवल बचत निधि का ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। बीमा तथा बचत योजना के अन्तर्गत देय धनराशि से शासकीय बकायों की वसूली नहीं की जा सकती (शासनादेश संख्या बीमा-20/दस-93-67 (बी)/92 दिनांक 27-02-1993)।

उक्त योजना प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू की गयी है और इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य कर्मचारियों एवं उनके लाभार्थियों को उनके उत्पन्न दावों का शीघ्रता से निस्तारण करते हुये उन्हें आर्थिक लाभ पहुँचाये जाने का है। इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था निर्धारित है कि किसी भी सरकारी सेवक का दावा भुगतान हेतु, जिस माह में वह अधिवर्षता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त होने वाला है उस माह के पूर्व माह के वेतन से योजना के दो माहों के अभिदानों की कटौती करके वेतन के भुगतानोपरान्त भेज दिया जाय। इसी प्रकार सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के दावों के निस्तारण में शीघ्रता के उद्देश्य से किसी भी सरकारी सेवक का दावा उत्पन्न होने पर विशेष वाहक के माध्यम से बीमा निदेशालय को मृत्यु के तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

## 2. अभिदाता/पात्र :-

### 1 - अनिवार्य :-

- उ०प्र० सरकार में नियमित अधिष्ठान में स्थाई अथवा अस्थाई रूप से पूर्णकालिक सेवा में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
- नियुक्ति के समय 50 वर्ष से कम आयु के राज्य कर्मी जो भूतपूर्व सैनिक रहे हों।

### 2 - ऐच्छिक :-

- उ०प्र० कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं में प्रोन्नत अधिकारी जो केन्द्रीय समूह बीमा योजना के लिये अपना विकल्प नहीं देते।
- माननीय उच्च न्यायालय, के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य यदि उन्होंने इस योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से सेवा में नियुक्ति के समय विकल्प चुना हो।

अल्पकालीन सेवा में अथवा सीजनल कार्य के लिए अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिक पात्र नहीं हैं। अधिवर्षता के उपरान्त, पुनर्नियुक्ति या सेवा विस्तार में भी यह योजना लागू नहीं है।

## 3. अभिदान की कटौती के नियम :-

- अभिदान की कटौती में किसी को कोई छूट नहीं है। अवकाश अवधि एवं निलंबन काल का भी अभिदान करना होता है। प्रत्येक दशा में पूरे माह की कटौती की जाती है।

- वेतन बिल के साथ अभिदान की कटौती सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर भी अभिदानों की कटौती वाह्य सेवायोजक द्वारा करके चालान के माध्यम से जमा की जाती है। कोषागार में प्रस्तुत होने पर कोषाधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है कि वे देख लें कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी के अभिदान की कटौती हो गई है या नहीं तभी वेतन बिल पास करें।
- अभिदान दो भागों— **बचत निधि व बीमा निधि** में प्रदर्शित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत की गई कटौतियों का विवरण **शासनादेश संख्या: 2545/दस-54-1981 दिनांक 24 मार्च, 1983** द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सेवापुस्तिका में चर्चा करना अनिवार्य है, जिसमें एक वर्ष के अभिदान एक पंक्ति में दर्ज किये जायें तथा उन्हें प्रमाणित भी किया जाय। इस प्रकार पूरे सेवाकाल के अभिदान एक स्थान पर उपलब्ध होंगे।
- यदि कोई कर्मचारी किसी एक समूह से दूसरे समूह में जैसे समूह "ग" से समूह "ख" में वर्ष के बीच किसी माह में प्रोन्नत होता है अथवा किसी समूह से निम्न समूह में पदावनत होता है, तो इसके आधार पर मासिक अभिदान की कटौती की दरों तथा बीमा आच्छादन में परिवर्तन आगामी 1 मार्च से ही प्रभावी होगा (शासनादेश संख्या बीमा-2602/दस-87/1983, दिनांक 15-10-1989)।
- **अभिदान कम/अधिक हो जाने पर** उसके भुगतान/वापसी के लिए विवरण प्रपत्र-24 (संशोधित)पर तैयार कराकर कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा, विभागाध्यक्ष के माध्यम से, सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित करना चाहिए (शासनादेश संख्या-एस0ई0328/दस-14-बीमा-14/08ए, दिनांक 21 जुलाई, 2014)
- यदि किसी सरकारी सेवक के वेतन से किन्हीं कारणों से कटौती नहीं हो पाती है और उसकी सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का अभिदान भी सरकारी सेवक के लाभार्थी से जमा कराये जाने की व्यवस्था है।
- **संबंधित लेखाशीर्षक –**  
**पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों के लिये बीमा निधि**  
 8011 – बीमा तथा पेंशन निधि  
     107 – राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना  
         01 – उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना – बीमा निधि  
           0101 – पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि  
**बचत निधि**  
 8011 – बीमा तथा पेंशन निधि  
     107 – राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना  
         02 – उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना – बचत निधि  
           0201 – पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि  
**पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये**  
**बीमा निधि**  
 8011 – बीमा तथा पेंशन निधि  
     107 – राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना  
         01 – उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना – बीमा निधि  
           0102 – पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि  
**बचत निधि**  
 8011 – बीमा तथा पेंशन निधि  
     107 – राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना  
         02 – उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना – बचत निधि  
           0202 – पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि

\*उक्त विषय पर आप द्वारा पुनर लिखित लेख भी प्रार्थनीय है।\*

#### 4. अभिदान की दरें व बीमा आच्छादन राशि :-

##### वर्तमान दरें व बीमा आच्छादन राशि

शासनादेश संख्या एस0ई0- 2314/दस-2008-बीमा-19/2002 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार मासिक अभिदान एवं बीमा आच्छादन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नवत् निर्धारित (दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी) किया गया-

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बचत निधि	बीमा निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	रु0 5401 से अधिक	रु0 400	रु0 280	रु0 120	रु0 4,00,000
2.	रु0 2801 से 5400 तक	रु0 200	रु0 140	रु0 60	रु0 2,00,000
3.	रु0 2800 तक	रु0 100	रु0 70	रु0 30	रु0 1,00,000

##### मासिक अभिदान की पूर्व दरें व बीमा आच्छादन राशि

दिनांक 01-12-2008 के पूर्व प्रचलित मासिक अभिदान की दरें व बीमा आच्छादन की राशियाँ समय-समय पर परिवर्तित होती रहीं जिनका विवरण निम्नवत् है-

(1) 30 जून 1993 तक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के समूह तथा विभागों (पुलिस विभाग एवं अन्य विभाग) के अनुसार दरें एवं बीमा आच्छादन के प्राविधान :-

अवधि		अभिदान की मासिक दर (रु.)			बीमा आच्छादन की धनराशि (रु.)
से	तक	कुल अभिदान	बचत निधि	बीमा निधि	

(क) पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये

पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये

1-3-1974	28-2-1977	5	3.33	1.67	5000
1-3-1977	29-2-1980	10	7.13	2.87	12000
1-3-1980	28-2-1990	15	10.33	4.67	25000
1-3-1990	30-6-1993	30	21	9	30000

पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों के लिये समान दरें 28-2-1985 तक

1-3-1976	29-2-1980	10	7.13	2.87	12000
1-3-1980	28-2-1985	40	27.50	12.50	50000

पुलिस विभाग के समूह 'क' के अधिकारियों के लिये दरें 1-3-1985 से

1-3-1985	28-2-1990	80	55	25	80000
1-3-1990	30-6-1993	120	84	36	120000

पुलिस विभाग के समूह 'ख' के अधिकारियों के लिये दरें 1-3-1985 से

1-3-1985	28-2-1990	40	27.50	12.50	40000
1-3-1990	30-6-1993	60	42	18	60000

(ख) पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये

पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारियों के लिये समान दरें 28-2-1985 तक

1-3-1976	29-2-1980	10	7.13	2.87	12000
1-3-1980	28-2-1985	20	13.95	6.05	25000

पुलिस विभाग के अतिरिक्त समूह 'क' के अधिकारियों के लिये दरें 1-3-1985 से

1-3-1985	28-2-1990	80	55	25	80000
1-3-1990	30-6-1993	120	84	36	120000

पुलिस विभाग के अतिरिक्त समूह 'ख' के अधिकारियों के लिये दरें 1-3-1985 से

1-3-1985	28-2-1990	40	27.25	12.50	40000
1-3-1990	30-6-1993	60	42	18	60000

पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के लिये दरें - समूह 'ग' हेतु

1-3-1976	29-2-1980	10	7.13	2.87	12000
----------	-----------	----	------	------	-------

\*उक्त विषय पर आप द्वारा पुनर लिखित लेख भी प्रार्थनीय है।\*

अवधि		अभिदान की मासिक दर (रु.)			बीमा आच्छादन की धनराशि (रु.)
से	तक	कुल अभिदान	बचत निधि	बीमा निधि	
1-3-1980	28-2-1990	20	13.95	6.05	25000
1-3-1990	30-6-1993	30	21	9	30000
पुलिस विभाग के अतिरिक्त के अन्य कर्मचारियों के लिये दरें – समूह 'घ' हेतु					
1-3-1976	30-9-1981	10	7.13	2.87	12000
1-10-1981	28-2-1990	20	13.95	6.05	25000
1-3-1990	30-6-1993	30	21	9	30000

(2) 1 जुलाई 1993 से अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम के अनुसार दरों एवं बीमा आच्छादन के प्राविधान :- (शासनादेश संख्या बीमा-959/दस-93-189(ए)/89 दिनांक 25 जून 1993)

सरकारी सेवक के वेतनमान का अधिकतम	मासिक अभिदान की दर	बचत निधि	बीमा निधि	समूह बीमा आच्छादन की राशि	बचत निधि पर देय ब्याज की दर
	रु.	रु.	रु.	रु.	12 प्रतिशत त्रैमासिक चक्रवृद्धि
(1) रु. 4001 या इससे अधिक	120	84	36	120000	चक्रवृद्धि
(2) रु. 2300 से रु. 4000 तक	60	42	18	60000	तदैव
(3) रु. 2299 तक	30	9	21	30000	तदैव

मासिक अभिदान एवं बीमा आच्छादन के निमित्त वेतनमानों के अनुसार वर्गीकरण शासनादेश संख्या : एस0ई0-2474/दस-2003-बीमा-19/2002 दिनांक 31 जुलाई 2003 के अनुसार निम्नवत निर्धारित किया गया और दिनांक 1 सितम्बर 2003 से प्रभावी माना गया-

क्रमांक	वेतनमान का अधिकतम	मासिक अभिदान की दर	बचत निधि	बीमा निधि	बीमा आच्छादन की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	रु 13501 या इससे अधिक	रु 120	रु 84	रु 36	रु 1,20,000
2.	रु 7000 से 13500 तक	रु 60	रु 42	रु 18	रु 60,000
3.	रु 6999 तक	रु 30	रु 21	रु 9	रु 30,000

यह भी व्यवस्था की गई थी कि जिन कर्मचारियों के पद का वेतनमान दिनांक 1-1-1996 के पूर्व रु 1350-30-1440-40-1800-द0रो0-50-2200 था तथा दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान रु 4500-125-7000 हो गया, के वेतन से दिनांक 31 अगस्त 2003 तक मासिक अभिदान रु 30 की दर से लिया जाएगा तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रु 30000 होगी किन्तु उस तिथि के पश्चात् अर्थात् दिनांक 1 सितम्बर 2003 से उक्त वेतनमान हेतु मासिक अभिदान की दर रु 60 तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रु 60000 होगी।

उक्तवत् वर्गीकरण में 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों के दृष्टिगत 1 दिसम्बर 2008 से ग्रेड वेतन के अनुसार परिवर्तन किया गया जिसका विवरण पूर्व में दिया जा चुका है।

## 5. नामांकन :-

शासनादेश संख्या: बीमा-56/दस-86-36/1981, दिनांक 10 जनवरी, 1986 के अनुसार सेवा में आते ही नामांकन पत्र भरना अनिवार्य है। इसे प्रथम वेतन देने से पूर्व अवश्य भरवा लेना चाहिये। नामांकन की तिथि को परिवार होने की दशा में केवल परिवार के सदस्यों के पक्ष में ही नामांकन करना होगा; परिवार होते हुए परिवार के बाहर किया गया नामांकन अवैध होगा। संदर्भित परिवार में निम्नलिखित सदस्य आते हैं-

1. पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो)

\*उक्त विषय पर आप द्वारा पुनर लिखित लेख भी प्रार्थनीय है।\*

2. पुत्रगण
3. अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ (सौतेले तथा दत्तक पुत्र/पुत्रियों सहित)
4. भाई (आयु 18 वर्ष से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहनें (सौतेले भाई बहनों सहित)
5. पिता तथा माता
6. विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियों सहित) तथा
7. पहले मृत हो चुके पुत्र/पुत्रों के पुत्र व पुत्रियाँ।

एक से अधिक को नामांकन हो तो प्रत्येक को देय अंश का उल्लेख आवश्यक है। अवयस्क के पक्ष में किये गये नामांकन में संरक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था है। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद नामांकन को प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा कि नामांकन पत्र शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार पूर्ण है तथा उसमें कोई कमी नहीं है। तदुपरान्त नामांकन की एक प्रति वैयक्तिक पत्रावली में तथा दूसरी प्रति सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेख में रखी जाएगी।

## 6. भुगतान की धनराशि एवं प्राप्तकर्ता सेवानिवृत्ति/सेवा से अन्यथा पृथक होने पर—

केवल बचत निधि का ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। बचत निधि पर ब्याज देय है। ब्याज—दर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है (विवरण संलग्नक-1 में द्रष्टव्य)। **वर्तमान ब्याज दर 8 प्रतिशत त्रैमासिक चक्रवृद्धि** (दिनांक 01 जनवरी, 2004 से लागू) है। बचत निधि की भुगतान योग्य धनराशि उस धनराशि से कम नहीं होनी चाहिए जो सरकारी सेवक के वेतन से कुल मिलाकर काटी गई हो। त्यागपत्र की स्थिति में व राजपत्रित अधिकारियों के लिए यह शर्त लागू नहीं है।

### सेवारत मृत्यु की दशा में—

सेवारत मृत्यु की दशा में बीमा आच्छादन की निर्धारित उपादान राशि तथा मृत्यु के दिनांक तक जमा बचत निधि की धनराशि का उक्त प्रस्तर के उल्लेख अनुसार ब्याज सहित भुगतान किया जाता है।

यदि नामांकन उपलब्ध है तो तदनुसार व्यक्ति(यों) को भुगतान किया जाएगा। यदि अवयस्क हेतु किये गये नामांकन में संरक्षक नहीं नियुक्त किया गया है तो प्राकृतिक संरक्षक के अभाव में 'गार्जियन एण्ड वार्ड्स ऐक्ट' के अंतर्गत सक्षम न्यायालय से नियुक्त संरक्षक को भुगतान किया जाएगा। अपवादस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दो पत्नियाँ हैं तो नामांकित विधवा के साथ नामांकित न की गई विधवा के अवयस्क बच्चों को भी भुगतान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में देय धनराशि का 50 प्रतिशत अंश नामांकित की गई विधवा को तथा शेष 50 प्रतिशत अंश नामांकित न की गई विधवा के अवयस्क बच्चों को देय होता है।

यदि नामांकन नहीं भरा गया या अवैध पाया गया तो लाभार्थी/लाभार्थियों को बीमा राशि का भुगतान निम्न क्रम से किया जायेगा—

- 1— अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो)
- 2— अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियाँ
- 3— वयस्क पुत्र
- 4— माता व पिता
- 5— अवयस्क भाई व अविवाहित बहनें
- 6— विवाहित पुत्रियाँ
- 7— पहले मृत हो चुके पुत्र/पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियाँ।

यदि उपर्युक्त में से कोई नहीं है और नामांकन पत्र भी नहीं उपलब्ध है तो बाहर के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र लाना होगा। यदि किसी अवयस्क को नामित किया गया हो तो अवयस्क को होने वाले बीमा/उपादान राशि का भुगतान उसके प्राकृतिक/विधिक अभिभावक (संरक्षक) को ही किया जायेगा।

न्यायालय के आदेशों को छोड़कर उपरोक्त बताये गये प्राविधानों के विपरीत कोई दावा अनुमन्य नहीं होता है।

सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को दावा उत्पन्न होने की तिथि माना जाता है और इस तिथि को लाभार्थी का निर्धारण किया जाता है और इसी तिथि को यह भी निर्धारित किया जाता है कि भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति नियमों के अनुसार भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं।

**लापता सरकारी सेवक** के दावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 408/दस-97-105 (ए) /91 टी. सी. दिनांक 17 अक्टूबर 1997 के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है। लापता सरकारी सेवकों के मामलों में मासिक अभिदान की कटौती उसके लापता होने के माह तक ही की जाती है तथा तदनुसार ही उस माह में प्रभावी दरों पर योजना के अंतर्गत देयों की गणना की जाती है। संबंधित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर बचत निधि में जमा धनराशि तथा उस पर लापता होने के माह की अंतिम तिथि तक के ब्याज का भुगतान किया जाता है। बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान सरकारी सेवक के लापता होने के पश्चात् सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर मृत माने जाने की दशा में देय होता है (शासनादेश संख्या बीमा-408/दस-97-105(ए)/91(टी0सी1), दिनांक 17 अक्टूबर, 1997)।

**सरकारी सेवक की हत्या के अभियुक्त संबंधी प्रक्रिया**— शासनादेश संख्या बीमा-1209/दस-84-94(ए)/92 दिनांक 28-12-1994 के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में हत्या करने, हत्या के लिये दुष्प्रेरित करने अथवा हत्या के षडयन्त्र में शामिल होने के लिये आरोपित हो और इस संबंध में उसके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई हो अथवा न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया हो तो उस स्थिति में सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत देय धनराशि का भुगतान निर्णय होने तक स्थगित रखा जायेगा। यदि उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तथा न्यायालय द्वारा उसे दण्डित किया जाता है तो वह उक्त धनराशि का भुगतान प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा तथा इस धनराशि का भुगतान योजना संबंधी शासनादेशों की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित मृतक के अगले लाभार्थी को कर दिया जायेगा। इसके विपरीत यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं और न्यायालय द्वारा उसे ससम्मान दोषमुक्त कर दिया जाता है तो देय धनराशि का भुगतान उसे बिना किसी ब्याज के किया जायेगा।

## 7. सामूहिक बीमा योजना से संबंधित विभिन्न प्रपत्र :-

प्रपत्र	विवरण	किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा	किसके द्वारा प्रोसेस किया जाएगा
प्रपत्र-24 (संशोधित)	अभिदान कम/अधिक हो जाने पर उसका भुगतान/वापसी	कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी	निदेशक, सामूहिक बीमा, उ०प्र०
प्रपत्र-28	कोषागार स्तर पर, दावे के परीक्षण के पूर्व प्रकरण की प्रविष्टि करने हेतु आहरण वितरण अधिकारीवार बनाए जाने वाले लेजर का प्रारूप	प्राप्त प्रकरणों की प्रविष्टि कोषागार द्वारा यह जाँचने के उपरान्त की जाएगी कि प्रकरण का निस्तारण एक बार ही हो रहा है।	
प्रपत्र-29	देय धनराशि की आगणन-शीट का प्रारूप	कोषाधिकारी	आहरण वितरण अधिकारी
प्रपत्र-30	दावे को अग्रसारित करने तथा उनसे संबंधित ई-पेमेण्ट्स के विवरण एवं उनके लाभग्रही के विवरण की पंजिका	कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर बनाया जाएगा तथा निदेशक सामूहिक बीमा योजना के निरीक्षण दल को भी उपलब्ध कराया जाएगा।	
प्रपत्र-31	सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले अथवा सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के भुगतान का दावा	कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी	कोषागार/पी0ए0ओ0 / इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन/निदेशक, सामूहिक बीमा उ0प्र0

## 8. दावा प्रेषण :-

\*उक्त विषय पर आप द्वारा पुनर लिखित लेख भी प्रार्थनीय है।\*

वित्त (बीमा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बीमा 768/दस-99/61/ए-99 दिनांक 16 जुलाई, 1999 के प्रस्तर 9 के अनुसार समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को चाहिये कि प्रत्येक 15 जनवरी तक अगले दो कैलेण्डर वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का वर्गवार विवरण संबंधित कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट्स आफिस/इरला चेक अनुभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

दावा प्रेषण के लिए शासनादेश संख्या : एस0ई0-1693/दस-11-बीमा-14/08, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 द्वारा अब सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले अथवा सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के दावों के भुगतान हेतु जी0आई0एस0 प्रपत्र सं0-31 (संशोधित) पर संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा आवश्यक प्रविष्टियाँ (जो लागू न हो उन्हें काटते हुए) पूर्ण करके बीमा निदेशालय/जिले के कोषागारों (यथास्थिति) को भेजे जायेंगे।

सेवारत मृत कर्मचारियों के दावा प्रपत्र-31 के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न होने चाहिए-

1. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण पत्र।
2. नामांकन पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. यथावश्यकता अन्य प्रपत्र जैसे सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, नामित या प्राकृतिक संरक्षक के अभाव में संरक्षक की नियुक्ति संबंधी सक्षम न्यायालय का आदेश, लापता सरकारी सेवक के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय द्वारा मृत घोषित करने के आदेश आदि।

### 9. स्वयं आहरण वितरण अधिकारियों के दावों का निस्तारण :-

शासनादेश संख्या एस.ई.-684/दस-2002-61(ए)/99 दिनांक 27 मार्च, 2002 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार स्वयं आहरण वितरण अधिकारी अथवा प्रतिनियुक्ति पद से सेवानिवृत्त अथवा अन्यथा सेवा से पृथक होने वाले सरकारी सेवकों के दावों का निस्तारण सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा किया जाता है। स्वयं आहरण वितरण अधिकारियों के दावे निम्नवत् उनके वेतनपर्ची निर्गमन प्राधिकारी के माध्यम से बीमा निदेशालय को भेजे जाते हैं-

क्रम	सेवा/संवर्ग का नाम	वेतनपर्ची निर्गमन प्राधिकारी
1	भारतीय प्रशासनिक सेवा	इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
2	भारतीय पुलिस सेवा	पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3	भारतीय वन सेवा	वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
4	न्यायिक सेवा	शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद
5	उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा	-तदैव-
6	उ०प्र० सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा)	इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ

उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के ऐसे अधिकारी जो वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक हो जाते हैं, के दावे उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही भेजे जाने की व्यवस्था है, किन्तु उपरोक्त संवर्गों से भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के दावे वाह्य सेवा में रहते हुए उत्पन्न होने की स्थिति में उनके पैतृक विभागाध्यक्षों द्वारा बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।

शासनादेश संख्या एस.ई.-1988(1)/दस-09-बीमा-14/08, दिनांक 06 जनवरी, 2011 द्वारा प्रदेश के स्वयं आहरण अधिकारियों पर लागू उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की कटौती का विवरण व्यक्तिगत लेजर में तैयार करके सामूहिक बीमा निदेशालय स्तर पर रखे जाने की व्यवस्था लागू की गई है। इस हेतु प्रदेश के कोषागारों/इरला चेक अनुभाग द्वारा प्रत्येक माह मासिक कटौतियों का विवरण शासनादेश संख्या एस.ई.-400/दस-2011-बीमा-14/08, दिनांक 31 मई, 2011 में निर्धारित प्रारूप पर सामूहिक बीमा निदेशालय को उपलब्ध कराना है। वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत स्वयं आहरण अधिकारियों के मामलों में इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन/अपर निदेशक, कोषागार उ0प्र0, इलाहाबाद उक्त विवरण बीमा निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत होने वाले अधिकारियों के दावों के संबंध में प्रक्रिया वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या एस.ई.-488/दस-2003-61(ए)/99 दिनांक 25 मार्च, 2004 द्वारा निम्नवत् निर्धारित की गई है-

- दिनांक 1-10-1999 के पूर्व पी.सी.एस. संवर्ग के जो अधिकारी आई.ए.एस. संवर्ग में पदोन्नत हुए हैं तथा जिन्होंने केन्द्रीय समूह बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण कर ली है, उनके पी.सी.एस. सेवाकाल से सम्बंधित राज्य सामूहिक बीमा योजना के दावों का प्रेषण शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय को किया जायेगा।
- पी.सी.एस. संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो आई.ए.एस. संवर्ग में दिनांक 1-10-1999 अथवा उसके बाद पदोन्नत हुये हैं और केन्द्रीय समूह बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण कर ली है, उनके पी.सी.एस. सेवाकाल के बीमा योजना से संबंधित दावों का प्रेषण शासन के इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय को किया जायेगा।
- पी.सी.एस. संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो आई.ए.एस. संवर्ग में पदोन्नत हो गये हैं, परन्तु जिन्होंने केन्द्रीय समूह बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं की है बल्कि राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के सदस्य बने हुये हैं, उनके पी.सी.एस. तथा आई.ए.एस. सेवाकाल के दावे एक साथ उनके सेवानिवृत्ति के उपरान्त यदि सेवानिवृत्ति की तिथि 1-10-1999 अथवा उसके बाद की है तो शासन के इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय को भेजे जायेंगे। यदि सेवानिवृत्ति की तिथि 1-10-1999 के पूर्व की है, तो उक्त दावे नियुक्ति विभाग द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय को भेजे जायेंगे।

#### 10. समूह-क अधिकारियों के दावों का निस्तारण :-

शासनादेश संख्या एस.ई.-1987/दस-10-बीमा-14/08, दिनांक 06 जनवरी, 2011 तथा शासनादेश संख्या एस.ई.-400/दस-2011-बीमा-14/08, दिनांक 31 मई, 2011 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में रूपये 5400/- से अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले समस्त अधिकारियों के सामूहिक बीमा सम्बन्धी दावों का निस्तारण सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। इस व्यवस्था का कार्यान्वयन दिनांक 01 मार्च, 2011 से निम्नवत् होगा-

**व्यक्तिगत लेजर :-** मासिक अभिदानों के कटौतियों के विवरण व्यक्तिगत लेजर तैयार करने हेतु अधिकारियों के नाम, उनके संवर्ग तथा विभाग का उल्लेख करते हुए प्रदेश कोषागारों से सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे तथा प्राप्त विवरणों के आधार पर अधिकारियों के जी0पी0एफ0 नम्बर को आई.डी. नम्बर के रूप में प्रयोग में लाते हुए कम्प्यूटर के द्वारा साफ्टवेयर तैयार कर प्रत्येक माह लेजर तैयार किये जायेंगे। ऐसे अधिकारी जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400/- से अधिक है, जिनके सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी दावों का निस्तारण इस शासनादेश के अन्तर्गत सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा किया जायेगा, उनकी रू0 5400/- तक ग्रेड वेतन से संबंधित सेवा की अवधि में काटी गयी सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी धनराशि का विवरण शासनादेश संख्या एस.ई.-400/दस-2011-बीमा-14/08, दिनांक 31 मई, 2011 में निर्धारित प्रारूप "ख" पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी/कोषागार से सत्यापित कर सामूहिक बीमा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत लेजर को पूर्ण किया जा सके। सेवानिवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक अथवा मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावे निर्धारित प्रपत्र (यथा जी.आई.एस. प्रपत्र-31 संशोधित) पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार तीन-तीन प्रतियों में तैयार किये जायेंगे तथा समस्त प्रपत्रों पर निर्धारित स्थान पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नाम सहित समुह हस्ताक्षर किये जायेंगे। कार्यालयाध्यक्ष स्तर के नीचे के अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तथा कार्यालयाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के दावे विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तथा विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के सामूहिक बीमा संबंधी दावे शासन के संबंधित विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा किये जायेंगे।

निदेशालय स्तर पर शासनादेश संख्या एस.ई.-400/दस-2011-बीमा-14/08, दिनांक 31 मई, 2011 में निर्धारित प्रारूप "क" पर कम्प्यूटर द्वारा अधिकारियों के मासिक अभिदानों के कटौतियों के विवरण लेजर पर तैयार किये जायेंगे। ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन रू0 5400/- से अधिक है उनका ग्रेड वेतन



रु0 5400/- तक की सेवा अवधि में काटे गये बीमा संबंधी अभिदानों का विवरण उक्त शासनादेश के संलग्नक "ख" पर कार्यालयाध्यक्ष/समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सत्यापित करके प्रथम बार सामूहिक बीमा निदेशालय में उक्त अधिकारियों के कम्प्यूटर पर लेजर तैयार करने में किया जायेगा।

स्वयं आहरण अधिकारियों के मासिक अभिदानों की कटौतियों के व्यक्तिगत लेजर बीमा निदेशालय स्तर पर शासनादेश संख्या- एस.ई.-1988(1)/दस-09-बीमा-14/08, दिनांक 06 जनवरी, 2011 के साथ संलग्न प्रारूप के स्थान पर शासनादेश संख्या एस.ई.-400/दस-2011-बीमा-14/08, दिनांक 31 मई, 2011 में निर्धारित प्रारूप "ख" पर रखे जायेगे। इसके अतिरिक्त स्वयं आहरण अधिकारियों के दावों का प्रेषण एवं उनके निस्तारण हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- एस.ई.-684/दस-2002-61(ए)/99, दिनांक 27 मार्च, 2002 में निर्धारित व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी तथा स्वयं आहरण अधिकारियों के दावों के प्रेषण एवं उनके निस्तारण मात्र हेतु उल्लिखित शासनादेश संख्या- एस.ई.-1987/दस-10-बीमा-14/08, दिनांक 06 जनवरी, 2011 के प्रस्तर-2(1) एवं (2) की व्यवस्थायें लागू नहीं होंगी।

**जी.आई.एस. शिड्यूल एवं जी.आई.एस. आई.डी. :-** प्रदेश के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा रु0 5400/- से अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों के जी.आई.एस. शिड्यूल शासनादेश संख्या एस.ई.-400/दस-2011-बीमा-14/08, दिनांक 31 मई, 2011 में निर्धारित प्रारूप "क" पर प्रत्येक वेतन देयक के साथ सम्बन्धित कोषागारों को प्रेषित किये जायेगे एवं प्रत्येक कोषागार द्वारा उनको प्रतिमाह बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखों के साथ भेजा जायेगा। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा जो जी.आई.एस. शिड्यूल कोषागारों को वेतन देयक के साथ प्रेषित किये जाय उनमें जी.आई.एस. आई.डी. के रूप में सम्बन्धित अधिकारी का जी.पी.एफ. नम्बर भी दर्शाया जायेगा। ऐसे मामले जिनमें जी.पी.एफ. नम्बर आबंटित नहीं है और एन.पी.एस. नम्बर है उनमें एन.पी.एस. नम्बर को जी.आई.एस. आई.डी. के रूप में जी.आई.एस. शिड्यूल में दर्शाया जायेगा।

किन्तु ऐसे मामले जिनमें अधिकारी का जी.पी.एफ. नम्बर एवं एन.पी.एस. नम्बर दोनों ही नहीं है उनमें जी.आई.एस. आई.डी. के स्थान पर 'New' अंकित करते हुये जी.आई.एस. शिड्यूल सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित किया जायेगा। सामूहिक बीमा निदेशालय में समस्त कोषागारों द्वारा प्रत्येक माह प्रेषित किये जाने वाले ऐसे जी.आई.एस. शिड्यूल में जिन अधिकारियों के नाम के आगे जी.आई.एस. आई.डी. के स्थान पर 'New' अंकित है, उनको निदेशालय द्वारा जी.आई.एस. आई.डी. के रूप में एक अद्वितीय नम्बर आवंटित करते हुये सम्बन्धित कोषागार एवं आहरण वितरण अधिकारी को निदेशालय द्वारा आवंटित नई जी.आई.एस. आई.डी. के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा जिसे आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा भविष्य में उक्त अधिकारी के सन्दर्भ में जी.आई.एस. आई.डी. के रूप में जी.आई.एस. शिड्यूल में दर्शाते हुये कोषागारों को जी.आई.एस. शिड्यूल प्रेषित किये जायेगे। ऐसे अधिकारी जिन्हें निदेशालय द्वारा उपरोक्तानुसार जी.आई.एस. आई.डी. आवंटित की गयी है उनको यदि आगे चल कर एन.पी.एस. संख्या आवंटित हो जाती है तो इसकी सूचना संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संबन्धित कोषागार एवं उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को सूचित करना होगा एवं प्रत्येक माह प्रेषित किये जाने वाले जी.आई.एस. शिड्यूल में सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा आवंटित जी.आई.एस. के स्थान पर एन.पी.एस. संख्या को दर्शाया जायेगा।

#### 11. दावा भुगतान प्रक्रिया के क्रमिक चरण :-

- दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 के बाद के दावे उक्त प्रक्रिया के अनुसार आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र 31 (संशोधित) पर कोषागार/पे एण्ड एकाउंट्स ऑफिस/इरला चेक में प्रस्तुत किये जाएंगे।
- प्रपत्र 31 (संशोधित) प्रस्तुत होने के बाद दावे का परीक्षण, कोषागार/पे एण्ड एकाउंट्स ऑफिस/इरला चेक द्वारा, आहरण-वितरण अधिकारी वार बनाये गये लेजर (प्रपत्र-28) में यह जांच कर प्रविष्टि करने के उपरान्त किया जायेगा कि प्रकरण का निस्तारण पहली बार ही हो रहा है।
- दावा सही पाये जाने की दशा में सामूहिक बीमा योजना हेतु लागू सॉफ्टवेयर (जिम्सनिक) की सहायता से प्रपत्र-29 पर देय धनराशि एवं ब्याज की तीन प्रतियों में आगणन-शीट कोषागार द्वारा तैयार की जाएगी तथा तदनुसार दावा प्राप्ति के तीन कार्यदिवसों के अंदर दो प्रतियाँ संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी को

- प्रेषित की जाएगी तथा आगणन शीट की एक प्रति कोषागार/पे एण्ड एकाउंट्स ऑफिस/इरला चेक की दावा पत्रावली में रखी जाएगी।
- **आगणन-शीट की प्राप्ति के दो कार्य दिवसों के अंदर** आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार सामान्य देयक प्रपत्र पर विधिवत् बिल बनाकर उसमें सुसंगत पंद्रह अंकीय लेखा कोड, दावाकर्ता का बैंक संबंधी विवरण एवं 'ई-चेक अमुक के नाम निर्गत किया जाय' अंकित कर कोषागार/पे एण्ड एकाउंट्स ऑफिस/इरला चेक को प्रेषित करेंगे।
  - **देयक (बिल) की प्राप्ति के दो कार्यदिवसों के अंदर** कोषागार/पे एण्ड एकाउंट्स ऑफिस/इरला द्वारा ई-पेमेण्ट के माध्यम से लाभार्थी के खाते में संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी/बीमा निदेशालय तथा कोषागार के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
  - सामूहिक बीमा दावा पंजी (प्रपत्र-28) के सभी स्तम्भों को सही ढंग से भरना चाहिए तथा चेक हस्तान्तरण के साथ-साथ कोषागार/पे एण्ड एकाउंट्स ऑफिस/इरला चेक के अधिकारी द्वारा आवश्यक अभ्युक्ति के साथ हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
  - ई-पेमेण्ट एवं इसके लाभार्थी को प्राप्त कराए जाने के विवरण की प्रविष्टि प्रपत्र-30 पर बनाई गई पंजिका में कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  - स्वयं आहरण/समूह-क अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्व संदर्भित शासनादेशों क्रमशः दिनांक 27 मार्च, 2002, दिनांक 06 जनवरी, 2011 तथा दिनांक 31 मई, 2011 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

## 12. विलम्ब का परिहार :-

यदि किसी प्रकरण में दी गयी समय-सारणी में विलंब हो तब प्रतिदिन के विलंब का कारण अभिलेखों में दर्शाया जाएगा कि विलंब के लिए कौन उत्तरदायी है। प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर/सेवारत अवस्था में मृत्यु होने पर योजना के अन्तर्गत देय सामूहिक बीमा धनराशि का समय से भुगतान न हो सकने के कारण प्रकरण में लाभार्थियों द्वारा दावों का ब्याज सहित भुगतान दिलाये जाने हेतु न्यायालय/अधिकरण/उपभोक्ता फोरम में रिट याचिकायें/वाद दायर कर दिये जाते हैं। विलम्ब से भुगतान होने पर जहाँ एक ओर योजना का मूल उद्देश्य विफल होने से सरकारी सेवक/लाभार्थी को आर्थिक/मानसिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है वही दूसरी ओर प्रकरण वादग्रस्त हो जाने से विभाग के समक्ष भी अनावश्यक रूप से अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है।

अतः इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या एस.ई.-1008/दस-2010-बीमा-6/2010, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दावा उत्पन्न होने की तिथि से तीन माह की अवधि के उपरान्त विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में उन्हें अनुमन्य धनराशि पर सामान्य भविष्यनिर्वाह निधि की प्रचलित ब्याज दर से साधारण ब्याज देय होगा। इस प्रकार भुगतान की गयी ब्याज की धनराशि वसूली उस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से की जायेगी जिसके द्वारा विभागीय स्तर पर भुगतान की कार्यवाही में अप्रत्याशित विलम्ब किया गया होगा। ऐसे सभी मामलों में जिनमें प्रशासकीय विलम्ब के कारण ब्याज की अदायगी की जानी हो उनमें विलम्ब के लिए जिम्मेदारी नियत करने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। सम्बन्धित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष जिम्मेदारी नियत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। उक्त आदेश दिनांक 24 नवम्बर, 2010 से प्रभावी होगा। पूर्व में निस्तारित प्रकरण को उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार देय ब्याज की धनराशि का आगणन/भुगतान उसके मूल दावे के साथ किया जायेगा और उसी लेखाशीर्षक में लेखांकित किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यवाही सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

समस्त कर्मचारियों के लिए बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दरें

क्र०सं०	अवधि	ब्याज की दरें	अभ्युक्ति
1.	01.03.1974 से 28.02.1987 (पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए)	6.0 प्रतिशत	चक्रवृद्धि ब्याज
	01.03.1976 से 28.02.1987 (पुलिस विभाग को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के लिए)	6.0 प्रतिशत	चक्रवृद्धि ब्याज
2.	01.03.1987 से 28.02.1990	9.0 प्रतिशत	त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
3.	01.03.1990 से 28.02.2002	12.0 प्रतिशत	त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
4.	01.03.2002 से 31.12.2002	9.5 प्रतिशत	संयोजित त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
5.	01.01.2003 से 31.12.2003	9.0 प्रतिशत	संयोजित त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
6.	01.01.2004 से 30.11.2008	8.0 प्रतिशत	संयोजित त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
7.	01.12.2011 से वर्तमान तक	8.6 प्रतिशत	संयोजित त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज

समस्त अधिकारियों के लिए बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दरें

क्र०सं०	अवधि	ब्याज की दरें	अभ्युक्ति
1.	01.03.1974 से 28.02.1987 (पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए)	6.0 प्रतिशत	चक्रवृद्धि ब्याज
	01.03.1976 से 28.02.1985 (पुलिस विभाग को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के लिए)	6.0 प्रतिशत	चक्रवृद्धि ब्याज
2.	01.03.1985 से 28.02.1987	11.0 प्रतिशत	त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
3.	01.03.1990 से 28.02.2002	12.0 प्रतिशत	त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
4.	01.03.2002 से 31.12.2002	9.5 प्रतिशत	संयोजित त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
5.	01.01.2003 से 31.12.2003	9.0 प्रतिशत	संयोजित त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
6.	01.01.2004 से 30.11.2008	8.0 प्रतिशत	संयोजित त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
7.	01.12.2011 से वर्तमान तक	8.6 प्रतिशत	संयोजित त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज

\*उक्त विषय पर आप द्वारा पुनर लिखित लेख भी प्रार्थनीय है।\*